उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-164/2019/2519/92-2-2019-01(जॉच)/2019,
लखनऊ :: दिनांक:: 05 नवम्बर, 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा में पैकेज संख्या-2278 में समाहित मार्ग-1 इटावा फरूखाबाद रोड से बासक रजवाहा वाया लोकपुर परौली रमाइन के निरीक्षण में पायी गयी कमियों, प्रावधानित क्वेरी की गिट्टी के स्थान पर भिन्न क्वेरी की गिट्टी प्रयुक्त करते हुए कार्य का भुगतान करने पी0एम0जी0एस0वाई0 के पैकेजेज हेतु यूनिट इटावा अंतर्गत अनुबंध के सापेक्ष बिलों से काटी गयी अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी न उपलब्ध कराने व माह मई, 2018 से अनबैलेन्स सिक्योरिटी अनाधिकृत रूप से अवमुक्त किये जाने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट उमर्दा में आवासीय भवनों का अवशेष निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन हेतु गठित समिति मे नामित सदस्य के रूप में वित्तीय तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर न करने व निविदा प्रक्रिया मे सहयोग न करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/2019/04/92-2-2019-01(जॉच)/2019, दिनांक 08 जनवरी, 2019 द्वारा श्री एम0सी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल झांसी को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री एम0सी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गये हैं के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.01.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित करने तथा प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी अधिकारी श्री एम0सी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा के प्रत्यावेदन दिनांक 21.01.2019 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2019/28अ0मु0स0/92-2-2019-01(जॉच)/2019, दिनांक 05.03.2019 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल झांसी के स्थान पर मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

3- शासन के पत्र दिनांक 08.01.2019 द्वारा श्री एम0सी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा के विरूद्ध निर्गत अनुमोदित आरोप पत्र के सापेक्ष नियमानुसार जांच कर जांच आख्या जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उनके पत्र दिनांक 28.08.2019 द्वारा नियमानुसार जांच करते हुए जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या की विवेचना में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-3 आरोपों में से आरोप संख्या-1 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया, किन्तु आरोप संख्या-2 एवं आरोप संख्या-3 को प्रमाणित नही पाया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 12.09.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 25.09.2019 द्वारा अभ्यावदेन शासन में उपलब्ध कराया गया।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के सापेक्ष जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप में अपचारी अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/शासकीय क्षति कारित नहीं की गयी है। अपचारी अधिकारी श्री एम0सी0 शर्मा जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गयें हैं के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप संख्या-1 के संबंध में उन्हें उक्त अनियमितता हेतु प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई अवसर भी नहीं रह गया है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-05/2019/04/92-2-2019-01(जॉच)/2019, दिनांक 08 जनवरी, 2019 द्वारा श्री एम0सी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53/2019/28अ0मु0स0/92-2-2019-01(जॉच)/2019, दिनांक 05.03.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया मे उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 164/2019/2519(1)/92-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3- श्री एम0सी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0/प्रखण्ड-इटावा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीणअभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in